WWW.LIVELAW.IN

In the Court of Addl. Sessions Judge/F.T.C.-2nd, Varanasi

Present: Aradhana Kushwaha, (H.J.S.)

C.N.R. No. UPVR100 0767 2021

Criminal Revision No. 21 of 2021

1.Saurabh Tiwari S/o Uma Shankar Tiwari,
R/o Ratnakar Vihar Colony, Samne Ghat, Police Station Lanka,
BHU Varanasi.-----------------------------Revisionist/Petitioner

Versus

1. State of U.P.
2. Kunal Kamra
R/o Police Station- Malad, Mumbai (Maharashtra)
--Opposite Party

Judgment

The present criminal revision has been preferred against the order dated 23.12.2020 passed by learned Judicial Magistrate-1st, Varanasi under Section 156(3) of Cr.P.C. in Case No.122/2020 Saurabh Tiwari v. Kunal Kamra.

Brief facts according to the revisionsits as per application 3Ka supported with affidavit 6Kha giving rise to this revision are that 2nd opposite party/accused-Kunal Kamra published a morphed/defaced photograph of Indian National Flag on his Twitter handle it get transmitted through out the Nation and the whole world. Since Indian National Flag is pride of the Nation and as an Indian Citizen. The petitioner/revisionist is deeply associated and connected with the Indian National Flag and aforementioned act is not only caused insult, disrepute and contempt to the Indian National Flag but such act hurt the feeling of people of this country. 2nd opposite party deliberately and intentionally published on his twitter handle, the picture of the building of the Hon'ble Supreme Court in which at top of the Apex Court building, instead of Indian National Flag, flag of One National Political Party seen hoisted and hence, the Indian National Flag get defaced and shown as flag of one national political party. Section 2 of Prevention of Insult to National Honour Act, 1971 clearly states that whoever in any public place or in public view defaces, disfigures or shown disrespect or caused contempt to the Indian National Flag, shll be punished. Explanation 2, of the aforementioned Act, further clarifies that " Indian National Flag" includes any picture or photograph. 2nd opposite party-accused exceeded the limit of freedom of speech & expression guaranteed

WWW.LIVELAW.IN

under Article 19(1)(a) of the Constitution of India. Even Article 51A of the Indian Constitution cast a fundamental duty on every citizen of India to respect the Indian National Flag. In Case of *Lalita Kumari Vs. State of U.P. (2014) 2 SCC 1*, it is held that registration of FIR is mandatory in cognizable cases. Even there is concept of zero FIR is in existence in which police have to register FIR irrespective of the place of occurence of the crime. It is clearly established that offence is committed by 2nd opposite party-Kunal Kamra and learned Judicial Magistrate, Varanasi in the impugned order (Case No.122/2020) not raised question on the commission of the offence with a view that alleged offence does not appear to have been committed within the jurisdiction of this court is untenable and unsustainable in the eye of law. As once offence regarding disrespect to Indian National Flag occured on Social Media platform like "Twitter" then offence seems to be committed such places where such publication is seen on Twitter. Hence, FIR may be filed in Varanasi. In support of his contentions, the learne counsel for the revisionist has placed the case law of *Saikiri Basu v. State of U.P. and Ors., AIR 2008 SC 907* in which it is held that if application under 156(3) Cr.PC filed before the learned Magistrate, the Magistrate can direct the FIR to be registered and Magistrate can also monitor the investigation to ensure a proper invesitgation. The cause of action for filing this criminal revision has arisen on 23.12.2020 when learned Judicial Magistrate-1st, Varanasi passed an order in Case No. 122/2020. As the petitioner/complainant moved criminal complaint under Section 156(3) against accused-Kunal Kamra as cause of action arisen on 11.11.2020. On the basis of above discussions, this Hon'ble Court may graciously be allowed this criminal revision and also may call for record and examine the record of the Case No.122/2020 to prevent the miscarriage of justice as well as this Court may pass such order as deem fit and proper in the interest of justice and equity.

विपक्षी संख्या–2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति 11ख प्रस्तुत किया गया है तथां निगरानी के उदभूत तथ्यों को पैरावाईज खण्डित किया गया है।

उभपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया तथा अवर न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया।

अवर न्यायालय ने आवेदक के प्रार्थनापत्र धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 पर उल्लिखित तथ्यों पर विचार करते हुए यह निष्कर्षित किया है कि यह अपराध इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया गया प्रतीत नही होता है और प्रार्थनापत्र धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 को निरस्त कर दिया है। अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र के तथ्यों पर कोई टिप्पणी नही की गयी है, मात्र क्षेत्राधिकार न होने के आधार पर प्रार्थनापत्र को निरस्त किया है। अतः

21

WWW.LIVELAW.IN

निगरानी न्यायालय को केवल यह विचार करना है कि अवर न्यायालय को प्रार्थनापत्र में उल्लिखित अपराध पर संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था या नही।

अवर न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष के सम्बन्ध में निगरानी न्यायालय की भांति विचार करते हुए न्यायालय का यह मत है कि अवर न्यायालय द्वारा उपलब्ध तथ्यों पर क्षेत्राधिकार सम्बन्धी जो निष्कर्ष दिया है वह न्यायालय के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विधि उपबन्धों यथा दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं प्रस्तुत मामले में सूचना तकनीकि अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार विधिसम्मत है।

आवेदक ने अपने प्रार्थनापत्र में यह कथन किया है कि कुनाल कामरा जो कि स्टैण्ड–अप कमेडियन है, ने अपने प्रमाणित ट्विटर हैण्डल @ kunalkamra88/ से दिनांक 11–11–2020 को समय 2.20 बजे पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की माब्ड फोटो प्रकाशित की। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय की बिल्डिंग पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाया गया है। ट्विटर हैण्डल का प्रयोग किस स्थान से किया गया है, यह स्पष्ट नही है, इस आधार पर प्रार्थनापत्र में कुनाल कामरा का जो पता मलाड मुम्बई महाराष्ट्र का दिया गया है, यह माना जा सकता है कि मुम्बई से ही इस ट्विटर हैण्डल का प्रयोग किया गया होगा, इसे कई जगह पर विभिन्न समयों पर भिन्न भिन्न लोगों द्वारा देखा गया होगा जहां पर समय, दिनांक व स्थान निश्चित नही किया जा सकता। प्रार्थनापत्र के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के सम्बन्ध में जिस अपराध के होने के बारे में कथन किया गया है वह माननीय उच्चतम न्यायालय की बिल्डिंग के सम्बन्ध में है, जो नई दिल्ली में है।

यहां यह भी विचारणीय है कि आवेदक के ही कथनानुसार उनके द्वारा एटार्नी जनरल आफ इण्डिया को एक पत्र कुनाल कामरा के विरूद्ध कन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग अन्तर्गत धारा 15 आफ द कन्टेम्प्ट कोर्ट ऐक्ट 1971 को प्रारम्भ करने के लिए लिखा था जिसके उत्तर में एटार्नी जनरल आफ इण्डिया द्वारा निगरानीकर्ता मि० सौरभ तिवारी को एक पत्र प्रेषित किया गया जो कि एनेक्चर इ के रूप में पत्रावली में संलग्न है, जिसमें यह कथन किया गया है कि.–

> I am in receipt of your request for consent to initiate proceedings by way of criminal contempt against Sh. Kunal Kamra. On the 12th of November I had received several similar requests and had granted my consent.
>
> Pursuant to my franting consent some contempt petitions have been filed in the Supreme Court of India. Therefore, there is no purpose now in multiplying proceedings further.
>
> Should you wish to address the Court in the contempt proceedings, you may consider moving an appropriate application before the Supreme Court of India.

उक्त पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कुनाल कामरा के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण कन्टेम्प्ट पिटीशन एटार्नी जनरल की परमीशन से माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल हो चुकी है और इसलिए इसमें गुणात्मक प्रकृति का कई वाद चलाने का कोई उद्देश्य नही है। यदि वह अवमानना की कार्यवाही में शामिल होना चाहते है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपयुक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकते है।

उपरोक्त तथ्य के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता का यह कथन है कि एटार्नी जनरल की अनुमति कन्टेम्प्ट के लिए थी न कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के सम्बन्ध में आपराधिक

WWW.LIVELAW.IN

वाद को चलाए जाने के सम्बन्ध में। उक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि इस मामले का संज्ञान माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लिया जा चुका है तथा इसमें वहां पर कार्यवाही लंबित है, अतः इस मामले के ही सम्बन्ध में किसी अवर न्यायालय द्वारा किसी प्रकिया को चलाया जाना किसी भी प्रकार से उचित नही है।

निगरानीकर्ता द्वारा **ललिता कुमारी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2014 (2) एस0सी0सी0 1** उद्धरण प्रस्तुत किया है और यह तर्क किया गया कि संज्ञेय मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना आज्ञात्मक है और घटना का स्थान निश्चित न होने पर जीरो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने का प्राविधान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उक्त निर्णय का ससम्मान अवलोकन किया गया। अवलोकन से न्यायालय का यह मत है कि उपरोक्त विधि व्यवस्था का लाभ न्यायालय के समक्ष इस वाद में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर प्रदान नही किया जा सकता।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना एवं सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दुष्टिगत रखते हुये मेरे विचार से अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23.12.2020, विधिक प्राविधानों का अवलोकन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की अनियमितता अथवा विधिक त्रुटि नहीं है। निगरानी संन्धार्य व पोषणीय नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत आपराधिक निगरानी निरस्त की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.12.2020 अभिपुष्ट किया जाता है। आदेश की प्रति अवर न्यायालय को प्रेषित की जावे।

दिनांकः–30.09.2021

Aush 30/9/21
(आराधना कुशवाहा)
अपर सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी न्यायालय–2, वाराणसी।
कोड संख्या–यूपी 2703

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः–30.09.2021

Aush 30/9/21
(आराधना कुशवाहा)
अपर सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी न्यायालय–2, वाराणसी।
कोड संख्या–यूपी 2703

WWW.LIVELAW.IN